87

संख्या- 335 /2026/149/नौ-9-2026-001-ई-1663421

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम गोरखपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु ओपेक्स मद की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-11/2023/1501/नौ-9-2023-01-ई-1668595, दिनांक 30.03.2021 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम गोरखपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 5025.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 25 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1256.00 लाख कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश दिनांक 28.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1256.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 22.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1256.00 लाख अवमुक्त की गई। संदर्भगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा आपेक्स मद में चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 397.00 लाख, शासनादेश दिनांक 19.07.2024 द्वारा ओपेक्स मद में पंचम किश्त की धनराशि रू0 204.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 05.11.2024 द्वारा आपेक्स मद में षष्टम किश्त की धनराशि रू0 202.66 लाख सहित कुल धनराशि रू0 4571.66 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4221/106/SSCM/2021-22, दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति शासन को उपलब्ध कराते हुए संदर्भगत परियोजना हेतु ओपेक्स मद में (माह अक्टूबर, 2025 से माह दिसम्बर, 2026 की अवधि तक) आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम गोरखपुर शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना हेतु कुल अनुबंध लागत धनराशि रू0 5025.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष ओपेक्स मद में (माह अक्टूबर, 2025 से माह दिसम्बर, 2026 तक की अवधि हेतु) आगामी किश्त के रूप में **धनराशि रू0 259.00 लाख (रूपया दो करोड़ उन्सठ लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, गोरखपुर को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग **दिनांक 31 मार्च, 2026** तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-08/2021/755/नौ-9-2021-40ज/21, दिनांक 30.03.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 259.00 लाख (रूपया दो करोड़ उन्सठ लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 के लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 10-02-2026
18:26:44
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

<u>**संख्या-** 338 **/2026/149/नौ-9-2026-001-ई-1663421**</u>

<u>**प्रतिलिपि**</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
10. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गोरखपुर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।